



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1070 दि. 07.10.2016

आदेश

विषय:- ग्रामीण क्षेत्र में अनाधिकृत पेयजल योजनाओं के नियमित कनेक्शन करने हेतु दिशा निर्देश।


ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजनाओं/जल स्रोत के लिये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर स्थापित कर ग्राम पंचायतों को जनता के लिए कनेक्शन दिये गये हैं, परन्तु कई ग्राम पंचायतों द्वारा विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन नहीं ले रखे है एवं अनाधिकृत रूप से सिंगल फेज एल.टी. से मोटर चलाकर पेयजल वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 2368 दिनांक 01.08.2016 के द्वारा सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं एवं ग्राम पंचायतों की सहमति/अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अन्य विकास योजनाओं में पीएचईडी द्वारा स्थापित पेयजल योजनाओं पर तत्काल विधिक रूप से विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जावे।

उक्त पेयजल वितरण व्यवस्था को बिना व्यवधान के नियमित करने के लिये निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते है :-

1. निगम द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है, क्योंकि प्रत्येक पेयजल योजना के लिये अलग से ट्रांसफार्मर होने पर उचित वोल्टेज मिलते है एवं विद्युत सप्लाई नियमित रहती है जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होती है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं/जल स्रोत पर कनेक्शन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत निगम के सहायक अभियन्ता कार्यालय में कनेक्शन हेतु दिनांक 10.10.2016 से 31.12.2016 तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के पश्चात् मौके की जांच कर पृथक ट्रांसफार्मर का एस्टिमेट बनाकर एस्टिमेट राशि जमा कराने के लिये मांग पत्र जारी किया जायेगा।
3. उक्त मांग पत्र की राशि 30 दिवस में जमा करानी होगी अथवा मांग पत्र की राशि जमा कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक या विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा अण्डरटेकिंग देनी होगी कि मांग पत्र की राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस में जमा करादी जावेगी।
4. मांग पत्र की राशि जमा होने अथवा अण्डरटेकिंग के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जावेगा। कनेक्शन के लिये मीटर (LPR type) ट्रांसफार्मर के पास पोल पर लगाया जायेगा।

5. कनेक्शन जारी होने के पश्चात नियमित बिल सम्बन्धित सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना सुनिश्चित किया जावेगा एवं संबंधित पंचायत द्वारा देय होगा।
6. बिल राशि जमा नहीं होने पर कनेक्शन काट कर ट्रांसफार्मर हटा लिया जायेगा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि उपरोक्त कनेक्शन के आस-पास जहां संभव हो वहां अन्य एलटी लाईन हटायी जावे जिससे अनाधिकृत पेयजल योजना को संचालित नहीं किया जा सके।
7. दिनांक 31.12.2016 के पश्चात् ऐसे अनाधिकृत कनेक्शनों एवं उपरोक्त बिन्दु संख्या 6 में वर्णित निर्देशों की जांच/पालना के लिये सघन सतर्कता जांच अभियान चलाया जायेगा एवं विद्युत चोरी पाये जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की जावेगी।


आज्ञा से


(यू.एस.चौहान)

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- अति.मुख्य. मुख्य अभियन्ता (एच.क्यू./एमएम/टर्न-की), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु)।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।



अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 02